CHAPTER - IX
RETURNS

Section 37 : Furnishing details of outward supplies

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a non-resident taxable person and a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, [1]**[**subject to such conditions and restrictions and**]** in such form and manner as may be prescribed, the details of outward supplies of goods or services or both effected during a tax period on or before the tenth day of the month succeeding the said tax period and such details [2]**[**shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies**]:**

[3][****]

[4]**[Provided that]** the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

[5]**[Provided further that]** any extension of time limit notified by the Commissioner of State tax or Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(2) [6][****]

---

1 Inserted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

2 Substituted for "shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

3 Proviso omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to omission it read as under:

"**Provided** that the registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies during the period from the eleventh day to the fifteenth day of the month succeeding the tax period:"

4 Substituted for "**Provided** further that" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

5 Substituted for "**Provided** also that" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

6 Sub-section (2) omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to omission it read as under:

"**(2)** Every registered person who has been communicated the details under sub-section (3) of section 38 or the details pertaining to inward supplies of Input Service Distributor under sub-section (4) of section 38, shall either accept or reject the details so communicated, on or before the seventeenth day, but not

(3) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period [7]**[****],** shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after [8]**[**the thirtieth day of November**]** following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier:

[9]**[Provided further** that the rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) for the month of March, 2019 or for the quarter January, 2019 to March, 2019.**]**

[10]**[(4)** A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.**]**

[11]**[(5)** A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under

---

before the fifteenth day, of the month succeeding the tax period and the details furnished by him under sub-section (1) shall stand amended accordingly. "

7 The words "and which have remained unmatched under section 42 or section 43" omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

8 Substituted for "furnishing of the return under section 39 for the month of September" by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

9 Inserted by Order No. 02/2018-Central Tax dated 31-12-2018.

10 Sub-section (4) inserted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022.

11 Sub-section (5) inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.**]**

Explanation—For the purposes of this Chapter, the expression "details of outward supplies" shall include details of invoices, debit notes, credit notes and revised invoices issued in relation to outward supplies made during any tax period.

अध्याय 9
विवरणियां

धारा 37 : जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति [1][ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रोनिक रूप में और] ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, कर अवधि के दौरान की गई माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन से पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे [2][ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाए]:

[3][......]

[4][**परन्तु**] आयुक्त, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें, विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

[5][**परन्तु** यह और कि] राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तारण आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(2) [6][......]

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और [7][......] उनमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर, ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सुधार करेगा तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए

---

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''इलैक्ट्रॉनिक रूप में'' के स्थान में अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा परंतुक विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:
''**परंतू** रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिन से पंद्रहवे दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगीः''

4 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''परन्तु यह और कि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''परन्तु यह और भी कि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा उपधारा (2) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :
''(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के सत्रहवें दिन को या उससे पूर्व परन्तु पन्द्रहवें दिन से पूर्व नहीं या तो इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित हो जाएंगे।''

7 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं,'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात्वर्ती [8][30 नवम्बर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्,] इनमें जो भी पूर्वतर है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

[9]**[परन्तु** यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत् त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।**]**

[10]**[(4)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्ही पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।**]**

[11]**[(5)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिये उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति यह रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के उपधारा (1) के अधीन कर अवधि के लिये जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।**]**

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ''जावक पूर्तियों के ब्यौरे'' पद के अंतर्गत किसी कर अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे नोट, जमापत्र और पुनरीक्षित बीजकों के ब्यौरे भी हैं।

---

8 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्,'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

9 केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 [आदेश सं. 2/2018—केन्द्रीय कर] दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

10 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा उपधारा (4) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

11 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (5) अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।